उत्तर प्रदेश शासन

प्रशासनिक सुधार विभाग

संख्या 3153/तैंतालिस—34(18)—1976

लखनऊ, दिनांक 1 अगस्त, 1978

कार्यालय-ज्ञाप

प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत एक संगठन एवं विधि विंग है जिसका कार्य सचिवालय के अनुभागों व कुछ प्रमुख कार्यालयों, जैसे लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, आदि के लिए अतिरिक्त पदों की मांग पर वहां की वर्क-स्टडी करके पदों के विषय में संस्तुति देने तक ही सीमित रहा है। इस विंग में इस समय केवल एक विशेष कार्याधिकारी तथा तीन संगठन एवं विधि अधिकारी के पद हैं जो उपरोक्त कार्य के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। मई, 1976 में नई दिल्ली में हुई मुख्य सचिवों की कांफ्रेंस में यह निर्णय हुआ था कि राज्यों में प्रशासनिक सुधार विभाग की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण किया जाय ताकि मुख्यालय, विभागाध्यक्षों, क्षेत्रीय एवं फील्ड स्तर के कार्यालयों की कार्य-प्रणाली का गहन अध्ययन किया जा सके और प्रशासन में सुधार एवं गतिशीलता लाने के उद्देश्य से अधिकारों के प्रतिनिधायन, कार्य-पद्धति में सरलता लाने, प्रारूप एवं विवरणियों के अभिनवीकरण तथा सरलीकरण, रिकार्ड्स मैनेजमेन्ट, जनता की शिकायतों का शीघ्र निवारण तथा नई-नई कार्य-प्रणालियों के लागू किये जाने आदि महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य किये जाने की दशा में शोध कार्य करके सुधारात्मक कदम उठाये जा सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग के संगठन एवं विधि विंग को एक निदेशालय का रूप दिये जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें दो कक्ष स्थापित किये जायेंगे। एक ओ० एण्ड एम० विंग कहलायेगा तथा दूसरा स्टाफ इन्स्पेक्शन एवं निरीक्षणालय विंग कहलायेगा। दोनों विंग पृथक-पृथक ज्वाइंट डाइरेक्टर कम-उप सचिव के चार्ज में होंगे। ओ० ऐंड एम० के दोनों खंडों में दो-दो शोध अधिकारी होंगे। इसी प्रकार स्टाफ इन्स्पेक्शन एवं निरीक्षणालय विंग में भी दो शोध अधिकारी होंगे। उपरोक्त दोनों विंग्स डाइरेक्टर-कम सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग के संपूर्ण चार्ज में रहेंगे।

2—अतएव राज्यपाल महोदय प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत निदेशालय की स्थापना तथा निदेशालय के कार्य संचालन के लिए निम्नलिखित पदों के कार्यभार ग्रहण की तिथि से सृजन तथा उनके 28 फरवरी, 1979 तक अवधि में इससे पूर्व बिना पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायं, कायम रहने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं:—

क्रम-संख्या	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु०	
1.	संयुक्त निदेशक कम-उप सचिव	1,400-50-1,500-रु० रो०-60-1,800 (यह पद पी०सी०एस० कैडर के स्पेशल ग्रेड के अधिकारी से भरा जायेगा। अन्य सेवा के अधिकारियों से भरे जाने की दशा में उसे अपना वेतनमान तथा 200 रु० प्रतिमाह विशेष वेतन देय होगा)	1
2.	शोध अधिकारी ..	550-30-700-रु०रो०-40-900-रु०रो०-50-1,200	6
3.	आशुलिपिक ..	300-8-340-रु०रो०-10-440-रु०रो०-12-500	3
4.	लेखक ..	200-5-250-रु०रो०-6-280-रु०रो०-8-320	2
5.	चपरासी ..	165-2-185-रु०रो०-3-215	4

P.T.O.

3—उपरोक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता तथा अन्य देय भत्ते प्राप्य होंगे।

4—ऊपर प्रस्तर 2 में वर्णित शोध अधिकारी के पदों के सृजन की तिथि से प्रशासनिक सुधार विभाग की गठन एवं विधि इकाई के लिए स्वीकृत वर्तमान विशेष कार्याधिकारी का एक पद तथा संगठन एवं विधि अधिकारी के तीन पद समाप्त हो जायेंगे।

5—प्रस्तर 2 में वर्णित पदों पर होने वाला व्यय चालू वर्ष 1978-79 के आय-व्ययक के लेखा शीर्षक "252-सचिवालय-सामान्य सेवायें-आयोजनेतर-क-सचिवालय" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

6—ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-5-1521—दस-78, दिनांक 1 अगस्त, 1978 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

मानिक वाघवानी,
सचिव।

संख्या 3153 (1)/सैंतालीस—34 (18)-76, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, लखनऊ,
(3) नियुक्ति अनुभाग-4/वित्त (व्यय नि0) अनु0-5/स0 प्र0 (लेखा) अनुभाग 1, 2, तथा इटावा चक अनुभाग।
(4) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग,
(5) मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
बी0 एस0 मलकानी,
उप सचिव।